



लार्ड मैकाले का शिक्षा विवरण पत्र का भारत की शिक्षा प्रणाली पर पडने वाले प्रभाव का अध्ययन

अरविन्द कुमार आर्य

सहायक प्राध्यापक

आदिनाथ कालेज ऑफ एजुकेशन महर्षा –ललितपुर।

लार्ड टामस बैबिंगटन मैकाले का परिचय— लार्ड टामस बैबिंगटन मैकाले का परिचय—लार्ड टामस मैकाले का जन्म 25 अक्टूबर 1800 रोथेले टैंपिल लैस्टशियर मे हुआ था। इनके पिता जकारी मैकाले एक व्यापारी थे। लार्ड मैकाले आरम्भ से ही पढने मे रूचि रखता था तथा उनकी स्मरण शक्ति अत्यन्त तीव्र थी। 3 वर्ष की आयु में उनमे लगातार पढने की प्रवृत्ति जागृत हो गई थी। अधिकांश समय मे अपनी माँ को अपनी पुस्तकों में पढी कहानियां सुनाया करते थे। 13 वर्ष की उम्र मे बालक मैकाले को शिक्षा प्राप्त करने के लिए केम्ब्रिज के पास एक निजी स्कूल मे हुई। आगे की शिक्षा के लिए 1818 में मैकाले ने ट्रिनिटी कालेज मे केम्ब्रिज में प्रवेश लिया। विश्वविद्यालय मे इन्होंने कई प्रकार की विशिष्टता प्राप्त की। ये अच्छे वक्ता, वाद विवाद में निपुण, एवं गणित के अतिरिक्त ये सभी विषयों मे प्रतिभाशाली छात्र थे। इन्ह 1819 व 1821 मे अंग्रेजी कविता के कुलपति पुरस्कार भी मिला। तत्त्वश्चात इन्होंने कानून का अध्ययन प्रारम्भ किया। सन् 1824 से 1830 तक का समय मैकाले की अग्नि परीक्षा का काल था। इसी समय मैकाले के पिता का व्यवसाय अच्छा प्रगति कर रहा था। वे चाहते थे मैकाले उनके व्यवसाय में उनका सहयोग करे और उसे आगे बढ़ाये। परन्तु मैकाले ने सार्वजनिक कार्य के लिए निजी कार्य का त्याग कर दिया मैकाले दासत्व मुक्ति आंदोलन को दृढता से सहयोग किया। जिसके परिणाम स्वरूप उनके पिता को व्यवसाय में नुकसान उठना पडा। शीघ्र ही पिता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी इन्होंने ले ली और सम्पूर्ण परिवार के आधार बन गय। इन्होंने अपनी वकालात 1826 में प्रारम्भ की। यह अपने माता पिता की सबसे बडी संतान थे। इनकी दो बहने थी मार्गरेट और हन्नाह। ये आजीवन अविवाहित रहे। मैकाले अपनी बहिनो और परिवार से बहुत प्रेम करते थे। अपने मन की बातों को वे अपनी बहिनो को पत्रो के माध्यम से बताते रहते थे उनके भांजे ने उनके पत्रो को संग्रहित करके एक पुस्तक प्रकाशित की “Life and Letters of Lord Macaulay”। दास मुक्त आंदोलन में दृढता से भाग लेने के कारण इनका स्थान राजनेताओ मे हो गया और मैकाले ने बहुत जल्द ही अपना स्थान विद्वानो के साथ साथ राजनेताओं मे बना लिया। इसी कारण उन्हे 1830 में लॉर्ड लेंसडाउन ने उन्हे पार्लियामेंट में स्थान दिलाया। इस समय मैकाले कर आयु केवल 30 वर्ष थी। पार्लियामेंट में प्रवेश करते ही उन्होंने अपनी वक्तव्यों से अपना स्थान प्रथम श्रेणी के वक्ताओं में बना लिया। मैकाले ने बहुत कम उम्र में इंग्लैण्ड में बहुत ख्याति प्राप्त कर ली। मैकाले को उनके पद के वेतन व लेखन से प्राप्त होने वाली धन राशि उनके परिवार की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो पर्याप्त थी परन्तु एक सुरक्षित भविष्य के लिए पर्याप्त नहीं थी। लार्ड मैकाले अपने सुरक्षित भविष्य के लिए अधिक पैसा कमाना चाहता था ताकि वह रिटायरमेंट के समय तक एक

अच्छी राशि एकत्र कर सके और अपना जीवन आराम से गुजार सके । इसी कारण उसने भारत आना स्वीकार किया । इस बात का जिक्र मैकाले ने अपनी बहन को लिखे पत्रों में किया। लार्ड मैकाले 10 जून 1834 को भारत आया। वह गर्वनर जनरल की एक्जीक्यूटिव कौंसिल का पहला कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त होकर भारत आया। लार्ड मैकाले एक श्रेष्ठ साहित्यकार था। उसने अंग्रेजी भाषा में कई पुस्तकें लिखी । जिसमें अर्भाडा, प्राचीन रोम के गीतकाव्य, इंग्लैण्ड का इतिहास आदि प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। लार्ड मैकाले दिसम्बर 1937 को भारत को छोड़कर इंग्लैण्ड वापिस चला गया। सन् 1859 को लार्ड मैकाले इस दुनिया को सदैव को छोड़कर चला गया। जितना इंग्लैण्ड के मैकाले को याद नहीं किया जाता है जितना की भारत में। भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करने का श्रेय मैकाले को ही जाता है। भारत में सन् 1834 से 1838 तक वह भारत की सुप्रीम कोर्ट काउंसिल में लॉ मेम्बर तथा लै कमीशन के प्रधान के रूप में कार्य किया । मैकाले ने इंडियन पीनल कोड की रचना भी की। परन्तु भारतीय इतिहास में लार्ड मैकाले को उनकी शिक्षा नीति के लिया जाना जाता है।

मैकाले का विवरण पत्र— लार्ड मैकाले 10 जून 1834 को भारत आया। वह गर्वनर जनरल की एक्जीक्यूटिव कौंसिल का पहला कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त होकर भारत आया। जिस समय मैकाले भारत आया उस समय प्राच्य और पाश्चात्य विवाद चल रहा था और यह उग्रतम रूप धारण कर चुका था। तत्कालीन गर्वनर जनरल लार्ड विलियम बैटिंग को विश्वास था कि मैकाले जैसा विद्वान इस विवाद को अवश्य ही सुलझा देगा । इसी कारण तत्कालीन गर्वनर जनरल लार्ड विलियम बैटिंग ने मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त कर दिया। फिर मैकाले को चार्टर 1813 की 43 वीं धारा में अंकित एक लाख रुपये की धनराशि को व्यय करने की विधि तथा विवादग्रस्त विषयों के सम्बन्ध में उसकी सलाह के लिए अनुरोध किया और लोक शिक्षा समिति के मंत्री को प्राच्यवादी और पाश्चात्य वादियों के वक्तव्यों को मैकाले के समक्ष रखने का आदेश दिया। मैकाले ने सर्वप्रथम 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा और दोनों दलों के वक्तव्यों को बड़ी गहनता के अध्ययन किया और उसके उपरान्त उसने तर्कपूर्ण और बलवती भाषा में अपनी सहाल का क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध करके एक विवरण पत्र को 2 फरवरी सन् 1835 को तत्कालीन गर्वनर जनरल लार्ड विलियम बैटिंग के पास भेज दिया। इसे इतिहास में मैकाले का विवरण पत्र के नाम से जाना जाता है । मैकाले के इस विवरण पत्र में निम्न बिन्दुओं का वर्णित किया—

1—मैकाले ने अपने विवरण पत्र में 43 वीं धारा की व्याख्या करते हुए लिखा आज्ञापत्र 1813 में अंकित शिक्षा पर एक लाख के व्यय के संबन्ध में सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है वह अपनी इच्छानुसार धन व्यय कर सकती है।

2—साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य की नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य भी सम्मिलित किया जा सकता है।

3—भारतीय विद्वान मुस्लमान मौलवी एवं संस्कृत के पण्डित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है।

4— 1813 के आज्ञा पत्र की 43 वीं धारा की व्याख्या करने बाद प्राच्य-पाश्चात्य विवाद के संबन्ध में मैकाले ने प्राच्य शिक्षा और साहित्य का प्रबल खण्डन किया और पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली और साहित्य का प्रबल समर्थन किया। मैकाले ने भारतीय भाषाओं और साहित्य के अध्ययन को निरर्थक बताते हुए कहा कि—भारत के निवासियों में प्रचलित देशी भाषाओं में साहित्यक तथा वैज्ञानिक ज्ञान कोष का आभाव है और वे इतनी अविकसित तथा गँवारू है कि जब तक उनको बाहरी भण्डार से सम्पन्न नहीं किया जाता तब तक उनसे किसी भी महात्वपूर्ण पुस्तक का अनुवाद संभव नहीं है।

भारतीय देशी भाषाओं को निरर्थक सिद्ध करने के पश्चात मैकाले ने प्रचलित अरबी, फारसी और संस्कृत साहित्य की तुलना में अंग्रेजी साहित्य को उच्च स्थान दिया। मैकाले ने अरबी, फारसी और संस्कृत साहित्य के बारे में कहा कि – एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अल्मारी का भारत और अरब के सम्पूर्ण साहित्य के कम महत्व नहीं है।

भारत में प्रचलित अरबी, फारसी और संस्कृत साहित्य से अंग्रेजी साहित्य को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये –

1. अरबी और संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी अधिक उपयोगी है क्योंकि यह नवीन ज्ञान की कुंजी है।
2. अंग्रेजी इस देश के शासकों की भाषा है, भारत के उच्च वर्गों द्वारा बोली जाती है और पूर्वी समुद्री देशों में व्यापार की भाषा बन सकती है।
3. जिस प्रकार लैटिन एवं यूनानी भाषाओं से इंग्लैण्ड में और पश्चिमी यूरोप की भाषाओं से रूस में पुनरुत्थान हुआ, उसी प्रकार अंग्रेजी से भारत में होगा।
4. भारतवासियों को अंग्रेजी भाषा का अच्छा विद्वान बनाया जा सकता है और इसी दिशा में कार्य होना चाहिए।
5. भारतवासी अरबी, फारसी और संस्कृत की शिक्षा की अपेक्षा अंग्रेजी शिक्षा के प्रति अधिक उत्कण्ठित हैं।
6. अंग्रेजी की शिक्षा द्वारा भारत देश में एक ऐसे वर्ग का निर्माण किया जा सकता है जो रंग और खून में भले ही भारतीय हो पर रुचियों, विचारों, नैतिकता और विद्वान में अंग्रेज होगा।

उपरोक्त तर्कों के आधार पर मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया और उसने कहा कि प्राच्य शिक्षा की शिक्षण संस्थानों पर धन व्यय करना मूर्खता है और उन पर धन व्यय करना बंद कर देना चाहिए। इनके स्थान पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थानों को ही आगे बढ़ाना चाहिए और उन पर ही धन व्यय करना चाहिए। मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के लिए निःस्यंदन सिद्धांत के पक्ष में था।

निःस्यंदन सिद्धांत— लार्ड मैकाले ने भारतीयों के शिक्षा प्रदान करने के लिए निःस्यंदन सिद्धांत के अनुसार प्रदान करने की सिफारिश की। निःस्यंदन सिद्धांत क्या है इसे समझते हैं। अंग्रेजी में निःस्यंदन शाब्दिक अर्थ **Filtration** है अर्थात् छानना की क्रिया से है। कम्पनी अपने व्यापारिक हितों को देखते हुए भारतीयों की शिक्षा पर बहुत कम धन व्यय करना चाहती थी इसलिए वह सभी को शिक्षा प्रदान न करके केवल कुछ उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करना चाहती थी। इसलिए शिक्षा उनका मानना था कि शिक्षा उच्च वर्ग से छन छन कर स्वयं ही निम्न वर्गों के व्यक्तियों तक पहुंच जायेगी। इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए अरथर मेह्लू ने लिखा है “ शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके, जनसाधारण तक पहुँचनी थी। लाभप्रद ज्ञान, भारत के सर्वो वर्गों से बूँद बूँद करके नीचे टपकना था।” मैकाले ने अपने सन् 1835 के विवरण पत्र में निःस्यंदन सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा है— “हमें इस समय एक ऐसे वर्ग का निर्माण करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे और उन लोगों के बीच में दुभाषिण का काम करे, जिन पर हम शासन करते हैं।” शिक्षा के प्रसार में निःस्यंदन सिद्धांत को स्वीकृत करने के निम्न कारण प्रतीत होते हैं।

1. इस सिद्धांत को सरकारी नीति का रूप प्रदान करने में अंग्रेजी कम्पनी का मूल उद्देश्य प्रारम्भ में ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान की जाए जिनको शिक्षित करके उच्च पद प्रदान करके राज्यों को दृढ़ता प्रदान की जाए। इसके लिए उच्च वर्ग की शिक्षा ही उपयोगी हो सकती थी लोक शिक्षा नहीं।
2. सरकार का आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी की सभी की शिक्षा का भार उठा सके।
3. अंग्रेजी माध्यम से उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करके और उनके रहन सहन तथा आचार विचार को परिवर्तित करके निम्न वर्ग के लोगों को आसानी से प्रभावित किया जा सकता था।
4. कुछ वर्ग के व्यक्तियों का शिक्षित करके शेष को शिक्षित करने की जिम्मेदारी उन पर डाली जा सकती है।

परन्तु जिस मंशा ने शिक्षा के क्षेत्र में निस्संदेह सिद्धांत लागू किया गया उसका सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। निस्संदेह सिद्धांत ने भारत की शिक्षा का स्वरूप निश्चित कर दिया। इससे उच्च शिक्षा में तीव्र गति से प्रगति हुई। सन् 1844 में लार्ड हार्डिज ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों से शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाने की घोषणा की। जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी माध्यम से पढ़े व्यक्तियों को सरकारीयों में प्राथमिकता दी जाने लगी। परन्तु निस्संदेह सिद्धांत को बढ़ा झटका लगा क्योंकि उच्च वर्ग के लोग सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने के पश्चात उनका आम जनता से नाता खत्म हो जाता और अपने ही हितों का ध्यान रखते और जनकल्याण की कोई चिन्ता नहीं करते थे। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके एक ऐसे वर्ग का निर्माण हो गया जो अशिक्षित निर्धन वर्ग के व्यक्तियों से अपने को श्रेष्ठ मानता था और उनसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहता था। कुछ अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हो गई और उन्होंने अपने देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना कूट कूट कर भरने का प्रयास किया। इसी प्रयास के आगे चलकर सफल हुआ और देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। परन्तु उच्च और निम्न वर्ग की खाई जो इस सिद्धांत से भारतीय समाज में बढ़ गई उसका परिणाम देश आज तक भोग रहा।

लार्ड विलियम बैटिंग द्वारा मैकाले विवरण पत्र को स्वीकृति 1835 – लार्ड विलियम बैटिंग द्वारा मैकाले विवरण पत्र 1835 में व्यक्त किये गये सभी विचारों को स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके पश्चात 7 मार्च 1935 को एक आज्ञा पत्र में बैटिंग ने शिक्षा नीति की घोषणा की जो निम्न प्रकार थी –

- 1– ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य भारतवासियों में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का प्रचार करना है। अतः केवल इसी कार्य के लिए शिक्षा सम्बन्धी समस्त धनराशि व्यय की जायेगी।
- 2– प्राच्य शिक्षालयों का बहिष्कार तथा उन्मूलन नहीं किया जाएगा। उनके अध्यापकों तथा छात्रों को पूर्ववत् वेतन और छात्रवृत्तियाँ दी जायेगी।
- 3– भविष्य में प्राच्य विद्या सम्बन्धी पुस्तकों का मुद्रण तथा प्रकाशन नहीं किया जायेगा।
- 4– इन सुधारों से बची धनराशि भारत में अंग्रेजी माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा और उसके साहित्य और विज्ञान के प्रसार पर व्यय किया जायेगा।

लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति का भारत की शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव—इस शिक्षा नीति में भारत में दी जाने वाली की दिशा बदल कर रख दी और भारत में अंग्रेजी माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा का युग प्रारम्भ हुआ जो अभी भी अनवर्त रूप से जारी है और हम अपने ही देश में दूसरों की भाषा के भी गुलाम हो गये। धीरे धीरे हम अपने मूल साहित्य को ही भूलते जा रहे हैं।

आकलैण्ड का विवरण पत्र एवं प्राच्य— पाश्चात्य विवाद का अंत – सन् 1835 में भारत में अंग्रेजी सरकार के प्रथम सर्वनर जनरल लार्ड विलियम बैटिंग त्यागपत्र देकर इंग्लैण्ड रवाना हो गये। उनके स्थान पर आकलैण्ड भारत के सर्वनर जनरल

नियुक्त होकर आये । बैटिंग के जाते ही मैकाले की नीति का विरोध होना प्रारम्भ हो गया एवं प्राच्य – पाश्चात्य विवाद आरम्भ हो गया । आकलैण्ड ने इस परिस्थिति का गम्भीर से 4 वर्षों तक गहन अध्ययन किया और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्राच्य-पाश्चात्यवादियों के विरोध का केवल एक ही मूल है धन । यदि प्राच्यवादियों को शिक्षा संबन्धी व्यय में बढ़ोत्तरी कर दी जाये तो वे हल्ला करना बंद कर देंगे । इसी बात को ध्यान रखते हुए अपने विवरण पत्र में अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया-

1. प्राच्य –शिक्षालयों को पूर्ववत् चलने दिया जाए और उनको उतनी ही आर्थिक सहायता दी जाए, जितनी कि बैटिंग के आज्ञा पत्र से पूर्व दी जाती कि बैटिंग के आज्ञा से पूर्व दी जाती थी ।
2. प्राच्य शिक्षालयों , प्राच्य विषयों के शिक्षण कार्य की उचित पूर्ति करने के पश्चात अंग्रेजी कक्षाएँ खोल सकते हैं ।
3. प्राच्य शिक्षालयों में पढने वाले समस्त विद्यार्थियों में से केवल 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति दी जायेगी ।
4. निश्चित धनराशि में से लाभप्रद प्राच्य पुस्तकों का मुद्रण एवं प्रकाशन किया जा सकता है ।
5. योग्य अध्यापकों को उचित वेतन दिया जाए ।

इस योजना को पूर्ण करने में यद्यपि 31 हजार रूपये वार्षिक व्यय बढ़ गया ,परन्तु इस धन की बढ़ोत्तरी से प्राच्यवादी खुश हो गये वहीं अंग्रेजी भाषा और साहित्य तथा विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख से अधिक की राशि स्वीकृत करके आकलैण्ड ने पाश्चात्यवादियों को भी प्रसन्न कर दिया । इस प्रकार प्राच्य और पाश्चात्यवादियों को विवाद समाप्त हो गया । आकलैण्ड का झुकाव अंग्रेजी शिक्षा की ओर था इसलिए उसने ढाका, पटना, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, बरेली, तथा दिल्ली में अंग्रेजी कालेजों की स्थापना कराई । इन कालेजों की स्थापना से अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन मिलता गया और भारतीय भाषाओं , साहित्य और संस्कृति पर गहरे काले बादल के समान फैल गये ।

संदर्भ सूची –

1. डा0 रोहित कुमार “आधुनिक भारत में शिक्षा का प्रसार” डिजाइट पब्लिकेशन बैंगलूर 2021
2. “भारतीय शिक्षा का इतिहास ” जौहरी एवं पाठक प्रकाशक श्री विनोद पुस्तक मंदिर आगरा –2 ।
3. “ भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास ” राणा बलवन्त प्रकाशक श्री विनोद पुस्तक मंदिर आगरा –2 ।
4. “ भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास ” गुरसरनदास त्यागी प्रकाशक श्री विनोद पुस्तक मंदिर आगरा –2 ।
- 5 Report of the Indian Education Commission.
- 6- History Of Indian ducation –S.N. Mukerji. Publisher : Acharya Book Depot (January 1, 1957)